

नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
भारत सरकार
बो-15, इंस्टीटुशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201309
टेल. 0120-2405969,70,71,72,73 फैक्स : 0120-2405182



Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
Deptt. of School Education & Literacy
Govt. of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73 Fax : 0120-2405182
वेबसाइट/ Website : www.navodaya.nic.in. navodaya.gov.in

फाईल सं० 1.6 / नविस / सी.पी.एफ / वित्त / ब्याज / 18-19 119

दिनांक 07.05.2018

विषय: अंशदायी भविष्य निधि के खातों पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प पत्रांक 5(4)-बी (पी.डी)/2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा घोषित संशोधित ब्याज दर, लागू किये जाने के संबंध में।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्रांक 5(4)-बी (पी.डी)/2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 कि प्रति जो यहाँ संलग्न है, का कृप्या संदर्भ लें जिसके द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के खातों पर दिये जाने वाले ब्याज दर (अवधि 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक के लिए) 7.6 प्रतिशत घोषित किया गया है।

समिति के समस्त कार्यालयों, नवोदय नेतृत्व संस्थानों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे समस्त अंशदायी भविष्य निधि खातों पर दिये जाने वाले वर्तमान ब्याज दर 7.6 प्रतिशत को ही अवधि 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 के लिए लागू करें क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(सतीश चन्द्र भट्ट)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)

प्रति निम्नांकित को आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित :

1. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय.
2. उपायुक्त, (प्रशासन) नविस (मुख्यालय) नौएडा
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नविस (मुख्यालय) नौएडा
4. वैब मास्टर, नविस (मुख्यालय) नौएडा.

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)

1/5
CO